UTTARAKHAND

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो॰नि॰वि॰ गैरसैण

Office of The Executive Engineer, Construction Division, P.W.D Gairsain

Phone N0/ Fax No: 01363-278533 **Mail: eecdgairsain@rediffmail.com**

पत्रांक 492/1 LA

दिनांक 27/04/2026

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
भूमि सर्वेक्षण निर्देशालय
इन्दिरानगंर फॉरेस्ट कॉलोनी उत्तराखण्ड
देहरादून।

विषयः– **जनपद चमोली के अन्तर्गत मैखोली से नलगांव–लखेडी वासीसेम मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.152 है0 वन भूमि का उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के संबंध में।**

सन्दर्भः– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून के पत्रांक 8B/UCP/06/282/20/FC. दि0 08.09.2025 एवं आपके कार्यालय द्वारा दि0 24.04.2026 को लगायी गयी EDS ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि जनपद चमोली के अन्तर्गत मैखोली से नलगांव–लखेडी वासीसेम मोटर मार्ग निर्माण कार्य में उपरोक्त संदर्भिन पत्र द्वारा लगाये गये EDS का निराकरण निम्नानुसार हैः–

क्र॰ सं॰	EDS (आपत्तियॉ)	आख्या
1	Kindly provide the the EDS reply of 4 points raised by IRO with DFO recommendation letter.	विषयक मोटर मार्ग में दि0 08.09.2025 को भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा लगाये गये 04 बिन्दुओं पर लगाये गये EDS का प्रतिउत्तर/आख्या प्रभागीय वनाधिकारी केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग गोपेश्वर द्वारा अपने पत्रांक 4142/12–1 दि0 16.04.2026 द्वारा आपके कार्यालय को प्रेषित किया गया है, पत्र की छाया प्रति संलग्नकों सहित सलंग्न कर प्रेषित की जा रही हैं।

अतः सादर सूचनार्थ प्रेषित।

सलंग्नः– उपरोक्तानुसार।

27/04/26

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो॰नि॰वि॰,
गैरसैंण,(चमोली)।

पत्रांक :– / **दिनांक –** / /**2026**

प्रतिलिपि :– प्रभागीय वनाधिकारी, केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग,गोपेश्वर को उपरोक्त सदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
गैरसैंण, चमोली।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।
Office of Divisional Forest Officer Kedarnath Wildlife Division, Gopeshwar.
Phone @ Fax No&01372252149

Email-dfokedarnath@gmail.com

पत्रांकः— / गोपेश्वर, दिनांक 16/04/ 2026

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
देहरादून।

विषयः— **जनपद चमोली के अन्तर्गत मैखोली से नलगांव–लखेड़ी वासीसेम मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.152 है0 वन भूमि का उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भः— **भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (क्षे0का0) देहरादून के पत्रांक 8बी / यू0सी0पी0 / 06 / 282 / 20 / एफ0सी0 , दिनांक 08–09–2025।**

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा विषयक मोटर मार्ग की सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या में कतिपय बिन्दुओं में सूचनाएं चाही गयी हैं, जिनका निराकरण कर निराकरण आख्या अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 गैरसैंण के पत्रांक 369 / 1एल0ए0, दिनांक 25.03.2026 की छायाप्रति सहित निम्नानुसार प्रेषित हैः—

कसं0	आपत्ति	निराकरण
1	Reply to the EDS Letter dated 27.08.2020 is still pending. The concerned department shall submit the reply at the earliest	उक्त कम में अवगत कराना है कि भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (क्षे0का0) देहरादून के पत्र दिनांक 27.08.2020 का प्रतिउत्तर प्रेषित न किए जाने के कारण भारत सरकार द्वारा पुनः दिनांक 30.09.2020 **(छायाप्रति संलग्न)** को 05 बिन्दुओं पर आख्या चाही गयी थी, उक्त आख्या नोडल कार्यालय द्वारा दिनांक 06.10.2021 को भारत सरकार को उपलब्ध करायी गयी थी। तत्पश्चात् दिनांक 21.10.2021 द्वारा भारत सरकार ने नोडल कार्यालय के पत्र दिनांक 06.10.2021 **(छायाप्रति संलग्न)** को प्रेषित प्रतिउत्तर में बिन्दु संख्या 05 की अनुपालन आख्या उपलब्ध न कराये जाने के कारण पुनः उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया। भारत सरकार के पत्र दिनांक 30.09.2020 के बिन्दु सं0 05 के कम में अवगत कराना है कि प्रस्ताव गठन के दौरान 0.5 घनत्व हेतु त्रुटिवश एन0पी0वी0 की दर 9.391 लाख रू0/है0 के अनुसार आंकलित की गयी थी। तत्पश्चात् सैद्धान्तिक स्वीकृति उपरान्त एन0पी0वी0 का आंगणन 8.45 लाख रू0/ है0 से करने पर आगणित धनराशि रू0– 18,18,440.00 रू0 की धनराशि प्रस्तावक विभाग द्वारा जमा की गयी, जोकि सही है। **संलग्नः— संलग्नक 1 व 2।**
2	Status of plantation under Compensatory Afforestation (CA) is required to be furnished.	प्रस्तावित परियोजना के एवज में प्राप्त सी0ए0 क्षेत्र में वर्ष 2020–21 में वृक्षारोपण कार्य पूर्ण किया गया है।
3	In case CA Plantation has not been carried out, a revised CA scheme as per current rates shall be prepared and the balance amount. If any, shall be deposited by the user Agency.	प्रस्तावित परियोजना के एवज में प्राप्त सी0ए0 क्षेत्र में वर्ष 2020–21 में वृक्षारोपण कार्य पूर्ण किया गया जा चुका है, जिस कारण सी0ए0 हेतु अतिरिक्त धनराशि की मांग की आवश्यकता नहीं है।

संलग्न-01

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–केन्द्रीय क्षेत्र)
25 सुभाष रोड, देहरादून–248001
दूरभाषः 0135–2650809
फैक्स–0135–2653010
ईमेल- moef.ddn@gov.in

सत्यमेव जयते

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
REGIONAL OFFICE (NORTH CENTRAL ZONE)
25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

फाईल संख्या 8बी./यू.सी.पी./06/282/2015/एफ0 सी0/1420 दिनांक 30/09/2020

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः– जनपद– चमोली के अर्न्तगत मैखोली से नलगांव–लखेड़ी वासीसेम मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.152 हे0 वन भूमि का उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (FP/UK/ROAD/9811/2015)

सन्दर्भः–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड का पत्रांक – 849/FP/UK/ROAD/9811/2015 दिनांक 19-09-2020.

महोदय,

उपरोक्त विषय पर सन्दर्भित पत्र का आशय ग्रहण करते हुए मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि राज्य सरकार से इस कार्यालय के पत्र दिनांक 27/08/2020 द्वारा निम्नलिखित बिन्दूओं पर जानकारी/ दस्तावेज़ चाहे गए थे जिसका जवाब अभी भी प्रेषित नहीं किया गया है। अतः राज्य सरकार निम्नलिखित बिन्दूओं पर जानकारी/ दस्तावेज प्रस्तुत करें:–

1. राज्य सरकार से निवेदन है कि इस कार्यालय EDS दिनांक 18.05.2019 का जवाब इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें।
2. Nodal Officer submitted in compliance that 473 trees are planted in 4.304 ha area. State Govt. may check the said details and submit the correct information in this regard.
3. Name of the CA area mentioned in compliance is incomplete. State Govt. may submit clarification.
4. The compliance to condition no. 06 is incomplete. State Govt. will submit the name of existing roads to which the proposed road would be connected.
5. NPV bill for Rs. 20,20,000/- is found submitted with proposal but amount deposited against NPV is Rs.18,18,440. State Govt. may clarify this discrepancy and do the needful.

भवदीय,

o/c

(टी0 सी0 नौटियाल)
उप महानिरीक्षक, वन (के0)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–
1. अपर मुख्य सचिव (वन), उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड़, देहरादून।

(टी0 सी0 नौटियाल)
उप महानिरीक्षक, वन (के0)

o/c

संलग्नक – 2

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून
25 सुभाष रोड, देहरादून–248001
दूरभाष: 0135–2650809
फैक्स–0135–2653010
ईमेल- moef.ddn@gov.in

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
INTEGRATED REGIONAL OFFICE, DEHRADUN
25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135 2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

फाईल संख्या 8बी./यू.सी.पी./06/282/2015/एफ0 सी0/893 दिनांक 21/10/2021

सेवा में

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय:– जनपद– चमोली के अर्न्तगत मैखोली से गलगांव–लखेड़ी वारीसेम मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.152 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (FP/UK/ROAD/9811/2015)

सन्दर्भ:–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड का पत्रांक 946/FP/UK/ROAD/9811/2015 दिनांक 06-10-2021

महोदय

उपरोक्त विषय पर संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करते हुए मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 30.09.2020 का उत्तर राज्य सरकार के सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत किया है जिसके अवलोकन पश्चात् यह पाया गया है कि बिन्दु क0 05 का उत्तर नहीं दिया गया है। अतः राज्य सरकार से अनुरोध है कि वह इस कार्यालय के पत्र दिनांक 30.09.2020 2020 के बिन्दु क0 5 जो कि निम्नानुसार है की अनुपालना आख्या प्रेषित करने का कष्ट करें।

"NPV bill for, Rs. 20,20,000/- is found submitted with proposal but amount deposited against NPV is Rs.18,18,440. State Govt. may clarify this discrepancy and do the needful."

इसके अतिरिक्त प्रस्ताव आनलाईन इस कार्यालय में प्रेषित नहीं हुआ है अतः राज्य सरकार इसे आनलाईन प्रेषित करना सुनिशिचत करें, तदोपरान्त ही अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।

भवदीय

o/c

(मीरा अय्यर)
उप महानिरीक्षक, वन (के)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–
1. अपर मुख्य सचिव (वन), उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड, देहरादून।

i/c

(मीरा अय्यर)
उप महानिरीक्षक, वन (के)

कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-mail:nodalofficerddn@gmail.com
Phone/ Fax: 0135-2767611

पत्रांक– 946 /FP/UK/ROAD/9811/2015 :देहरादूनः दिनांकः 06 अक्टूबर, 2021

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषयः– जनपद –चमोली के अन्तर्गत मैखोली नलगांव–लेखेड़ वासीसैंम मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.152 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भः–भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र), देहरादून का पत्रांक–08बी / यू0सी0पी0 / 06 / 282 / 2015 / एफ0सी0 / 2167 दिनांकः–14.03.2018

महोदय,

कृपया भारत सरकार के उपरोक्त विषयक पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा विषयांकित प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत कतिपय शर्तो के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या प्रभागीय वनाधिकारी, केदारनाथ वन्यजीव वन प्रभाग, गोपेश्वर के पत्रांक 1547 / 12–1 दिनांक 22.09.2021 **(प्रति संलग्न)** के द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई सूचना निम्न प्रकार प्रेषित हैः–

1. शर्त संख्या–1 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण एंव 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु देय धनराशि रू0 11,99,374.00 मात्र ऑनलाईन चालान के माध्यम से तदर्थ कैम्पा कोष में जमा कराया जा चुका है। जिलाधिकारी चमोली द्वारा निर्गत अमल दरामद का प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न है। **(संलग्नक–1)**
2. शर्त संख्या–2 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एन0पी0वी0 की देय धनराशि रू0 18,18,440.00 मात्र ऑनलाईन चालान के माध्यम से तदर्थ कैम्पा कोष में जमा कराया जा चुका है।
3. शर्त संख्या–3 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित एन0पी0वी0 की बचनवद्धता का प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। **(संलग्नक–2)**
4. शर्त संख्या–4 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपरोक्तानुसार कुल जमा की गयी धनराशि रू0 30,17,814.00 मात्र के ऑनलाईन Paid रसीद की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। **(संलग्नक–3)**
5. शर्त संख्या–5 के अनुपालन में अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित Strip Plantation के वचनबद्धता का प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। **(संलग्नक–4)**
6. शर्त संख्या–6 के अनुपालन में अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि यह मार्ग मैखोली खिनसर मोटर मार्ग के किमी0 03 से प्रारम्भ होता है। जिसका विवरण पूर्व में प्रेषित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के प्रारूप–11 पर किया गया है।

अतः अनुरोध है कि विषयांकित प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति निर्गत किये जाने पर विचार करने का कष्ट करें।

<u>संलग्न–यथोपरि</u>

भवदीय,

(डा0 कपिल जोशी)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
6 वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या– 946 /FP/UK/ROAD/9811/2015 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रभागीय वनाधिकारी, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।
2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, गैरसैंण।

(डा0 कपिल जोशी)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
6 वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

9C

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।
Office of Divisional Forest Officer Kedarnath Wildlife Division, Gopeshwar.
Phone @ Fax No&01372252149 Email-dfokedarnath@gmail.com

पत्रांकः– 3728 /12-1 गोपेश्वर, दिनांक 24/03/2026

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
गैरसैंण।

विषयः– **जनपद चमोली के अन्तर्गत मैखोली से नलगांव–लखेड़ी वासीसेम मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.152 है0 वन भूमि का उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भ :– **आपका पत्रांक 280/1एल0ए0, दिनांक 06.03.2026।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक में आपके कार्यालय के संदर्भित पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि भारत सरकार के फाईल सं0 5–3/2011–FC(Vol-1), दिनांक 19.01.2022 द्वारा निर्गत शासनादेश के अनुसार विषयक मोटर मार्ग में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुए 05 वर्ष से अधिक एवं विधियत् स्वीकृति आतिथि तक प्राप्त न होने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक 1825/12–1, दिनांक 14.11.2025 से आपके कार्यालय को प्रेषित अतिरिक्त एन0पी0वी0 की धनराशि के मांग पत्र को नोडल कार्यालय द्वारा इस निर्देश के क्रम में वापस लौटाया गया है कि यदि विषयक प्रकरण में क्षतिपूरक वृक्षारोपण कार्य सम्पन्न नहीं किया गया है तो वर्तमान दरों के अनुसार सी0ए0 हेतु धनराशि आगणित कर पूर्व में जमा धनराशि के अतिरिक्त धनराशि जमा की जानी आवश्यक है।

उक्त क्रम में अवगत कराना है कि विषयक प्रकरण के एवज में प्राप्त क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र में वर्ष 2020–21 में रोपण कार्य पूर्ण किया जा चुका है, जिस कारण से सी0ए0 हेतु अतिरिक्त धनराशि जमा नहीं की जानी है। पुष्टि हेतु वन क्षेत्राधिकारी, लोहवा रेंज, गैरसैंण के पत्र की छायाप्रति संलग्न है।

अतः भारत सरकार एवं नोडल से प्राप्त निर्देशों के क्रम में इस कार्यालय के उपरोक्त पत्र द्वारा प्रेषित मांग पत्र के अनुसार धनराशि जमा कर चालान की प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति प्राप्त करने हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(सर्वेश कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग,
गोपेश्वर।

संख्या 3728 /12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि :– प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी उत्तराखण्ड देहरादून को उक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(सर्वेश कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग,
गोपेश्वर।

o/c

Scanned with OKEN Scanner